No.

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुस्तिका

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
राज.सरकार

श्री शांति धारीवाल
नगरीय विकास,स्वायत शासन
एवं आवासन मंत्री, राज. सरकार

राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना

पार्ट–2

में निश्चित विक्रय दर पर भूखण्डों का आवंटन

222 भूखण्ड
4800/– प्रति वर्ग फीट

500/-

आवेदन पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि	03 जून 2021
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	19 जून 2021

लोक सेवा केन्द्र
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत..

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पुस्तिका नीचे उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि सहित जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट / चैक

सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे।

2. आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेज–

1. पेन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति। (करयोग्य आय होने पर)
2. आवेदक अपने खाते का एक Cancelled चैक CTS 2010 अथवा पासबुक की प्रति सलंग्न करें।
3. निवास प्रमाण–पत्र
5. स्वघोषणा पत्र (सलंग्न प्रारूप के साथ)

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan kshetriya Gramin Bank

1. Nayapura Kota
2. Kota Junction
3. Keshavpura Kota
4. Dadabari Kota
5. Girdharpura Kota
6 .Bhamashah Mandi Kota
7. Annantpura Kota
8. Kansuwa Kota
9. Gumanpura Kota
10.Badgav Kota
11.Nanta Kota
12.Borkheda Kota
13.R. K puram Kota
14. कोटा,बारां,झालावाड़ की सभी शाखाओं एवं बून्दी मुख्य शाखा।

आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2021 से 19.06.2021 तक रू. 500/- के शुल्क पर Baroda Rajasthan kshetriya Gramin Bank की इन शाखाओं से बैंक समय प्रातः10 बजे से सायं 4 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है

नगर विकास न्यास, कोटा

Ph. : 0744 2500539

kotauit@yahoo.com

UIT Kota Website - http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota

नगर विकास न्यास कोटा

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में आवास की आवश्यकता महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रत्येक मनुष्य का स्वंय का घर होने का सपना होता है। इसी सपने को साकार करने के लिए नगर विकास न्यास, कोटा हमेशा तत्पर रहा हैं। न्यास ने कोटा शहर में कई नई कॉलोनिया बनाकर नागरिको को लॉटरी के माध्यम से सस्ती दरो पर भूखण्डो व आवासो का आवटंन किया हैं। न्यास द्धारा राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट- 2 के 222 भूखण्डों को निश्चित एवं उचित दर पर एक साथ लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया है ताकि उनको एक निश्चित एवं उचित दर पर भूखण्ड लेने का अवसर मिल सके।

राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट–2 में कुल 222 भूखण्डों के निश्चित विक्रय दर पर आवंटन हेतु लॉटरी निकाली जायेगी।

योजना का विस्तृत विवरण आवेदन पुस्तिका में अंकित हैं। आम जनता से अनुरोध हैं कि आवेदन पुस्तिका का अध्ययन कर अधिकतम संख्या में आवेदन करें व योजना का लाभ उठावें।

COMPLEMENTARY COPY

शुभकामनाओं सहित।

राजेश जोशी
आर.ए.एस.
सचिव, नगर विकास न्यास,
कोटा

उज्जवल राठौड़
आइ.ए.एस.
अध्यक्ष नगर विकास न्यास, एवं
जिला कलक्टर, कोटा

नगर विकास न्यास, कोटा

राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट-2

विशेष छूटे :-

1. आय वर्ग (इनकम ग्रुप) की बाध्यता नहीं :-

आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह दी गई किसी भी साईज के भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

2. पूर्व में भूखण्ड/आवास होने पर भी पात्र :-

आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

3. भूखण्ड की कीमत में 4 % की छूट का विकल्प :-

देय सम्पूर्ण राशि एकमुश्त 45 दिवस में जमा करने पर भूखण्ड की कीमत में 4% की छूट दी जायेगी।

4. हस्तानान्तरण हेतु विक्रय अनुमति के लिए देय राशि में छूट :-

भूखण्ड के हस्तानान्तरण हेतु विक्रय अनुमति प्राप्त करने के लिए देय 10% कर (लेवी) से मुक्त रखा गया है अर्थात् कोई कर (लेवी)देय नहीं है।

5. एक व्यक्ति /परिवार के द्वारा एक से अधिक आवेदन की छूट :-

एक व्यक्ति के द्वारा अथवा एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी एक से अधिक भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन कर सकते है।

विशेष आकर्षण

1. पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क के चैक/RTGS से भी भुगतान की सुविधा।
2. भूखण्डों का सस्ती दरों पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन।
3. लॉटरी, आवेदन की अन्तिम तिथि से एक माह में निकाली जायेगी।
4. भुगतान 15%, 35% एवं 50% क्रमशः 45 दिवस, 240 दिवस एवं 360 दिवस में किये जाने की सुविधा।
5. असफल आवेदको को पंजीयन राशि का रिफण्ड लॉटरी की तिथि से एक माह में ।
6. चौड़ी सड़के (न्यूनतम 40 फीट)।
7. विभिन्न वर्गो को आरक्षण की सुविधा।
8. निर्माणाधीन ऑक्सीजोन/सिटी पार्क के समीप।

राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट-2

योजना स्थल :-

नगर विकास न्यास की राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट-2 एरोड्राम सर्किल से झालावाड़ रोड़ पर आई.एल. टाउनशिप की भूमि पर ऑक्सीजोन के समीप विकसित की जा रही है।

योजना का विवरण :-

विभिन्न साईज के आवासीय भूखण्ड निर्धारित किए गए है। भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता हैं :-

आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप :-

1. राजस्थान के मूल निवासी हैं।
2. आप की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष की हो चुकी हो।
3. आवेदन सम्बन्धी निर्धारित अन्य शर्ते पूर्ण करते हैं।
4. आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह किसी भी साईज के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
5. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

योजना की विशेषताएं :-

- योजना न्यास द्वारा पूर्व में विकसित योजना राजीव गांधी नगर के समीप एवं राजीव गांधी नगर स्पेशल के सामने कोटा झालावाड़ मुख्य सड़क पर न्यास द्वारा विकसित किये जा रहे ऑक्सीजोन के समीप है।
- योजना के समीप सिटी मॉल तथा कई कोचिंग संस्थान है।
- यह योजना कोटा शहर में एरोड्रम सर्किल से झालावाड़ के लिए मुख्य सड़क के दाई ओर एरोड्रम सर्किल से (लगभग 2 कि.मी.) आई.एल. टाउनशिप की भूमि पर विकसित की जा रही है।
- योजना स्थल के समीप न्यास द्वारा विस्तृत क्षेत्र (लगभग 100 एकड)में ऑक्सीजोन पार्क विकसित किया जा रहा है।

भूखण्डों की संख्या ,पंजीयन राशि, अनुमानित कीमत आदि का विवरण :-

राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट-2

क्र.सं.	भूखण्ड का साईज (मीटर में)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग फीट में)	भूखण्डों की संख्या	पंजीयन राशि	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कार्नर भूखण्ड)
1	7.5 x 15	112.5	1210.5	41	5,90,000/-	58,10,400/-
2.	9 x18	162	1743.12	116	8,40,000/-	83,66,976/-
3.	12 x 21	252	2711.52	65	13,10,000/-	1,30,15,296/-

कुल भूखण्ड 222

योजना में पंजीयन राशि के साथ 2000/–रू. प्रशासानिक शुल्क राशि जमा होगी ,जो अदेय (Non Refundable) है।

योजना का विवरण :–

राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट- 2 में 222 भूखण्ड निश्चित विक्रय दर रूपये 4,800/- प्रति वर्ग फुट की दर से लॉटरी के माध्यम से आवंटन हेतु निर्धारित किये है। उक्त संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढाई जा सकती है। उक्त योजना में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा। इन भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

पात्रता

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन–पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन–पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के धारकों के सम्बन्ध में RBI के KYC मानकों का पालन किया है।
4. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कर योग्य आय(Taxable Income) होने पर आवंटित स्थाई खाता संख्या (PAN) होना चाहिए।
5. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र है।
6. संयुक्त नाम से आवेदन की स्थिति में दोनो एक ही श्रेणी के होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदक अपने नाम से आवेदन पत्र अन्तिम पृष्ठ पर दिये गए फार्म एवम् चालान भरकर जमा करा सकता है।
2. राजीव गांधी नगर स्पेशल योजना पार्ट के अन्तर्गत सभी साइजों के लिए आवेदन पत्र एक ही है किन्तु चालान प्रत्येक साईज के लिए पृथक–पृथक है। कृपया कोष्ठक में सही (✓) का चिन्ह लगायें।
3. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरो में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली,बाजार,मकान नं0 सहित शहर/जिले का नाम, आधार नं. पिनकोड नं0 सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 यदि हो तो लिखे तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम, IFSC कोड लिखे।
4. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।
5. आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

COMPLEMENTARY COPY

6. आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे,जो कॉलम लागू नही होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नही) अंकित करें।
7. आवेदन पत्र केवल आवेदन पुस्तिका में वर्णित बैंक के माध्यम से जमा किये जाएंगे।
8. सभी दस्तावेज की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर पर करें।
9. संयुक्त नाम से आवेदन पर दोनो आवेदकों के फोटो आवश्यक है तथा प्रपत्रों पर दोनो के क्रमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम आवेदक का बैंक का नाम एवं खाता संख्या आवेदन पत्र में देवें।

विशेष अनुदेश

1. आवदेक की आय कर योग्य (Taxable) होने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही **PAN CARD** की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाए ।
2. आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) अथवा बैंक पास बुक प्रति सलंग्न करें, जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो।
3. कृपया एसटीडी कोड सहित अपना फोन नं0, ई–मेंल आईडी और मोबाईल नं0, यदि कोई हो, दे। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में न्यास एवं बैंक को सहायता मिलेगी।
4. निःशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन कर सकते है। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/सकती है।
5. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
6. धन राशि की वापसी का चैक/मांग एवं आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।
7. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, (मय प्रशासनिक) शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक ***सचिव, नगर विकास न्यास कोटा*** के पक्ष में देय होना चाहिए।

8. पंजीकरण राशि मय प्रशासनिक शुल्क RTGS के माध्यम से भी (चालान फार्म में उल्लेखित विवरण के अनुसार) हस्तान्तरित करते हुये आवेदन पत्र मय चालान निर्धारित बैंक में जमा कराया जा सकेगा।

आरक्षण :–

भूखण्डों की प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न वर्गो के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति जिस वर्ग के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हे उसी वर्ग के लिए लॉटरी मे सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य वर्ग मे उनका कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा। फार्म में वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होने पर सामान्य वर्ग का आवेदन माना जावेगा।

(a)राज्य सरकार के विभागों एवं स्थानीय निकायों एवं वैधानिक निकायों के कर्मचारी (b)राज्य कर्मचारी की विधवा (राज्य कर्मचारी की मृत्यु के 10 वर्ष की अवधि तक) तथा पति की आय मृत्यु के समय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने पर (c)केन्द्र सरकार के कर्मचारी (राजस्थान के मूल निवासी)	सैनिक / सेवानिवृत सैनिक एवं सैनिको की विधवाए	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ट्रांसजेण्डर	अधिस्वीकृत पत्रकार	सामान्य श्रेणी के लिए
10%	10%	9%	6%	2%	2%	61%

कुल (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के) भूखण्डों के 5 प्रतिशत शारीरिक दिव्यांग के लिए तथा 10 प्रतिशत बेसहारा भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए श्रेणीवार होगा।

नोट :- कुल भूखण्डों के 5 प्रतिशत की सीमा तक दिव्यांगो के लिए तथा 10 प्रतिशत की सीमा तक बेसहारा, भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए आरक्षित करते हुए अर्थात् अलग करते हुए उपलब्ध शेष भूखण्डों की श्रेणीवार संख्या निकाली जाएगी। तत्पश्चात् उक्त 5 प्रतिशत की सीमा तक तथा 10 प्रतिशत की सीमा तक के आवेदनों को श्रेणीवार उपलब्ध भूखण्डों में से कम किया जायेगा। प्राप्त संख्या के अनुसार आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के भूखण्डों के लिए लॉटरी निकाली जायेगी।

स्पष्टीकरण :

1. **राज्य कर्मचारी :(a) :** जो व्यक्ति राजस्थान सरकार, राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के वैधानिक निकायों के अधीन नियमित रूप से कार्यरत है तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी है, उन्ही को राज्य/केन्द्र कर्मचारी के वर्ग मे माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पेंशनर को इस वर्ग में नही माना जावेगा। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख रूपये से अधिक नहीं हो।

(b) राज्य कर्मचारी की विधवा भी राज्य कर्मचारी की मृत्यु के 10 वर्ष की अवधि तक इस श्रेणी के अन्तर्गत पात्र होगी, किन्तु उसके पति की वार्षिक आय उसकी मृत्यु के समय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने पर ही पात्र होगी।

(c) केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हो, वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं होने पर पात्र होंगे।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप मे सूचीबद्व है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख रूपयें से अधिक नहीं हो।

3. सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ.,कार्यरत अथवा इन सेवाओ से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी से है। सैनिको की विधवाये वे है जिनके पति सैनिक रहे हो एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई हो । पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।

4. ट्रांसजेण्डर पर्सन जिनकी वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो, पात्र होंगे।

5. अधिस्वीकृत पत्रकार वे है जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे हो । इस श्रेणी में आवेदन हेतु आवंटन के समय वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।

6. शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति वे है जो शारीरिक अयोग्यता के कारण दिव्यांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है। इस श्रेणी में आवेदन हेतु आवंटन के समय वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।

7. बेसहारा भूमिहीन एकल महिला की श्रेणी में आवेदन करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मान्य दस्तावेज सलंग्न करना होगा। इस श्रेणी में आवेदन के लिए वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं हो।

8. किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या मे प्राप्त नही होने पर उस ग्रुप के शेष भूखण्डो का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी ग्रुप के आवेदको को किया जायेगा।

9. संयुक्त आवेदन की स्थिति में सभी आवेदकों को एक ही आरक्षित श्रेणी का होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।

10. अन्य पिछ़डा वर्ग से सम्बन्धित आवेदकों द्वारा एस.सी./एस.टी. वर्ग में आवेदन नही किया जा सकता है।यदि ऐसे आवेदन पाये गये तो वह निरस्त योग्य होंगे।

COMPLEMENTARY COPY

एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक आवेदन किये जा सकते है। एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकते है, जिन्हें एक से अधिक भूखण्ड आवंटन किये जा सकते है, किन्तु लॉटरी निकलने के पश्चात् भूखण्ड निरस्त करने/पंजीयन राशि वापसी की मांग स्वीकार योग्य नहीं होगी।

आवेदन कैसे करें

1. इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर रहे आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि एवम् 2000/– का प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक जमा कराना होगा।
2. पंजीकरण राशि यूआईटी कोटा में देय, किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर/चैक द्वारा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी.
3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन–पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा आवेदन–पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समापन से पूर्व दिए जाऐंगे। यूआईटी समापन समय के पश्चात, किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
5. किसी भी ग्रुप/योजना में आवेदन के पूर्व भली–भांति विचार कर लेवे। आवेदन फार्म जमा करने के उपरान्त आवेदन विद्ड्रा करते हुये जमा राशि वापस करने अथवा ग्रुप/योजना/साईज में परिवर्तन करने के आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रो को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 19-06-2021 है।

आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(क) समस्त वर्गो के लिए

1. निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक
2. आवेदन पत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड (यदि आय, कर योग्य(Taxable) होने की स्थिति में स्व अनुप्रमाणित प्रति।
3. निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड,ड्राईविंग लाईसेंस, टेलीफोन बिल, बिंजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम व पता हो) की स्व अनुप्रमाणित प्रति।
4. आवेदक के बैंक खाते का एक Cancelled चैक अथवा नवीनतम पास बुक की प्रति जिसमे खाता संख्या एवं बैंक के IFSC कोड नं. हो।

(ख) आरक्षित वर्ग के लिए:–

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदको को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

1. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गो से संबंध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तहसीलदार/नायब तहसीलदार से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. यदि आवेदक शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र की स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. भूतपूर्व सैनिको के मामले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिको की विधवाओं,जिसमें उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएं भी शामिल है, की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो उसे रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों द्वारा जारी किए गए "अपेक्षित प्रमाण–पत्र" की स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

5. राज्य सरकार के विभागों स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के वैधानिक निकायों के कर्मचारियों/ केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी है, को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. राज्य कर्मचारी की विधवा के द्वारा राज्य कर्मचारी श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने पर उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु के समय राज्य कर्मचारी होने के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा ज़ारी प्रमाण पत्र, उसकी पत्नि होने एवं पुनर्विवाह नहीं करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवंटन की प्रक्रियां

(1) लाटरी योग्य भूखण्डो की संख्या राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट–2 में 222 है। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई–बढाई जा सकती है। भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लॉटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचनां स्थानीय समाचार पत्रों में दी जावेगी।

(2) आवेदको के द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है । ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।

(3) पात्र आवेदन पत्रों के आधार पर उपलब्ध भूखण्डों की लॉटरी का लाईव प्रसारण यूआईटी के फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है तथा लॉटरी उपरान्त

लॉटरी की वीडियोग्राफी यू–ट्यूब पर अपलोड करवाई जायेगी जिसका लिंक नगर विकास न्यास की वेबसाईट http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota पर उपलब्ध करवाया जायेगा तथा सफल आवेदकों की सूची भी न्यास की वेबसाईट http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

(4) सफल आवंटियों को मांग एवं आवंटनपत्र पंजीकृत डाक से भेजे जाऐंगे। सफल आवंटियों की सूची न्यास की वेबसाइट http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota पर अपलोड करवाई जायेगी तथा न्यास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। ऐसी स्थिति में आवेदक/आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नही मिलने के लिए नगर विकास न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।

मांगी गई राशि के भुगतान की अवधि पद्धतिः–

आवंटित भूखण्ड का भुगतान निम्नानुसार जमा करवाना होगा :–

आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिवस में 15 प्रतिशत,

आवंटन पत्र जारी होने के 240 दिवस में 35 प्रतिशत,

आवंटन पत्र जारी होने के 360 दिवस में 50 प्रतिशत, (जमा पंजीयन राशि कम करते हुए)

नोटः–

1. आवंटन पत्र जारी करने के 45 दिवस में जमा योग्य राशि आवंटन पत्र जारी करने से 360 दिवस तक 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवाई जा सकती है, जिसमें ब्याज की गणना, 31वें दिवस से की जायेगी।
2. देय 35 प्रतिशत राशि आवंटन पत्र जारी करने के 240 दिवस में जमा करवाना होगा। यदि आवेदक 240 दिवस के उपरान्त किन्तु 360 दिवस के अन्दर जमा करवाता है तो 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवाना होगा।
3. देय राशि उपरोक्तानुसार जमा करवाना होगा, इसके अभाव में आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।

4.आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिवस में सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराने पर भूखण्ड की कुल कीमत की 4 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

5. साईट प्लान के रू. 200/– देय अन्तिम किश्त अर्थात देय 50 प्रतिशत राशि के साथ तथा यदि सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो उसके साथ जमा करवाने होंगे।

आवेदन पत्र के साथ जमा कराई पंजीयन राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य राशि स्थानीय चैक/डी.डी./पे ऑर्डर द्वारा न्यास में जमा करवाई जा सकेगी अथवा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में निर्धारित अवधि में जमा करवाते हुए न्यास को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि की वापसीः–

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा वापस की जाएंगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यूआईटी या बैंक योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी/धन वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिन्हित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।

3. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां डाक/कोरियर क़ा प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां धनराशि वापिस करने के चैक/मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार डाक/कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगें। ऐसे मामलो में आवेदक को इस आवेदन पुस्तिका में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। इन मामलो में आवेदक/आवंटिती द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए यूआईटी/बैंक उत्तरदायी नही होगा।

टिप्पणी– यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापिस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्योरे उपलब्धं कराने होंगे क्योकि इन ब्यौरों को धन वापिसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नही करेगा । ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

भूखण्डों की रजिस्ट्री:–

आवंटी द्वारा भूखण्ड की संपूर्ण बकाया राशि,लीज आदि जमा करवा कर पट्टा विलेख प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा,तद्परान्त न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। इस पट्टा विलेख का पंजीयन,पंजीयक मुद्रांक कार्यालय, में आंवटी द्वारा कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आंवटी द्वारा वहन किया जावेगा। सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर एन. ओ.सी, हेतु आवेदन पत्र मय बैंक का पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर न्यास द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) जारी किया जा सकगे। समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

भूखण्ड पर नगरीय कर योजना की आरक्षित दर 12,300/– प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियमानुसार जमा करवाना होगा ।

भूखण्ड का कब्जाः–

सम्पूर्ण राशि जमा होने पर 12 माह के अन्दर लीज़ डीड पंजीयन प्रपत्र प्रस्तुत नही करने पर न्यास द्वारा रु. 2000/– प्रति माह तक भूखण्ड की साईज के अनुसार शास्ति (पेनाल्टी) लगाई जावेगी। लीज डीड का पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद दो माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा न्यास के अधिकृत भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर दिया जावेगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे अथवा उनको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा, अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । साइट प्लान व मौके पर कब्जा देने पर अतिरिक्त भूमि होने पर उसका नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का होने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटी को देनी होगी।

भूखण्ड का हस्तान्तरण

आवंटी द्वारा भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करवाने के पश्चात पट्टा विलेख का पंजीयन करवाने, नगरीय कर जमा करवाने एवं कब्जा प्राप्त करने पर न्यास से स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्ड का हस्तान्तरण अर्थात विक्रय किया जा सकता है। भूखण्ड के विक्रय हेतु स्वीकृति/अनुमति हेतु देय 10 प्रतिशत कर (लेवी) से मुक्त रखा गया है अर्थात् कोई कर (लेवी) देय नहीं है।

भूखण्ड पर निर्माण कार्यः–

भूखण्ड पर 5 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य करना होगा। 5 वर्ष के अन्दर एक आवासीय इकाई का निर्माण नहीं करवाया गया तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों मे न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज तथा शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढा सकते है। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

अन्यः–

1. भूखण्ड का पुनर्गठन/उपविभाजन न्यास की स्वीकृति के बिना नही किया जावेगा और न ही दो या अधिक भूखण्डो की एक ईकाई बनाई जावेगी।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार एवं ड्राफ्ट/चैक सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होगें ।
6. भूखण्डो की माप/संख्या में कम/ज्यादा की जा सकती है विषम परिस्थितियों में आंवटित भूखण्ड का कब्जा नही दिए जाने की स्थिति मे आवेदक द्वारा जमा राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।

7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे मे रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तो का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदको की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भूखण्ड अथवा उस पर बने भवन पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
10. भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आंवटी से ली जावेगी।
11. लाटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ/उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
12. आवेदक योजना को आवेदन के पूर्व मौके पर जाकर देख लेंवे तथा संतुष्टी के पश्चात ही आवेदन करें।
13. आवेदको के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदंण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित फोटो

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....
.... आयु.................निवासी ....
....
..................................घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैंरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।

(3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने/शर्तो की पूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

दिनांक : आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
.... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक : आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु
प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..
..../पुत्री/पत्नि श्री..
निवासी..
जिला..(राज.) जाति.. के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
(कार्यालय की मोहर सहित)

(सम्बन्धित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी मूल प्रमाण–पत्र की स्व–अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।)

सैनिक कोटे के अन्तर्गत आरक्षित भूखण्डों हेतु स्व घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री ....
आयु..निवासी...
....घोषणा करता/करती हूँ, कि:–

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदन कर रहा हूँ।

(2) मैं थल/जल/वायुसेना/बी.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ./सी.आई.एस.एफ. .... में कार्यरत/सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी हूँ।

(3) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो चुकी है। मै उनके ऊपर आश्रित होने के आधार पर आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर रहा हूँ।

(4) मेरी वार्षिक आय 20.00 लाख रूपए से अधिक नहीं है।

(4) उक्त सम्बन्ध में प्रमाण हेतु दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कर रहा हूँ।

संलग्न

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
.... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी...,..

....

की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....निवासी.........................

....तहसील ....

जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

आम-जन की जानकारी हेतु :-

कार्यालय नगर विकास न्यास,कोटा

एकल खिड़की पर प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रो का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम		कार्य में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	विशेष विवरण
1.	लीज–डीड (रजिस्ट्री)	1.	लीज–डीड (रजिस्ट्री) में 3 फोटो एवं आवंटी की आई.डी.	अवैध निर्माण होने की स्थिति में पृथक से अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र) मय फोटो नोटेरी प्रस्तुत किया जावे।
		2.	दो गवाहो के नाम पते सहित हस्ताक्षर एवं उनकी आई.डी	
		3.	आवंटन की छाया प्रति	निर्धारित अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र) में जिस कार्य हेतु आवेदन किया है उसे (✓) अंकित करें शेष कॉलम को काट दिया जावे।
		4.	सम्पूर्ण जमा की रसीद	
		5.	कब्जा/लाईसेंस जारी किया हुआ हो तो उसकी छाया प्रति	
		6.	अग्रिम नगरीयकर (लीज) जमा की रसीद	मुख्तारआम से रजिस्ट्री की जानी है तो मुख्तारआम प्रमाणित/स्वप्रमाणित एवं मुख्तारआम प्रभावी शपथ पत्र मय फोटो नोटेरी प्रस्तुत किया जावे।
		7.	निर्धारित अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र)	
		8.	प्रोपर्टी आईडी एवं एस.एस.ओ.आई.डी संलग्न/अंकित किया जावे।	
2.	कब्जा पत्र	1.	लीज–डीड (रजिस्ट्री) सब रजिस्ट्रार से पंजिबद्ध प्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित प्रति	
		2.	अग्रिम नगरीयकर (लीज) जमा की रसीद	
		3.	प्रोपर्टी आईडी एवं एस.एस.ओ.आई.डी संलग्न/अंकित किया जावे।	
3.	रहन अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र	1	लीज–डीड (रजिस्ट्री) सब रजिस्ट्रार से पंजिबद्ध प्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित प्रति अथवा नाम हस्तान्तरण की प्रति (स्वप्रमाणित)	निर्धारित अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र) में यह भी अंकित किया जावे कि पूर्व में किसी बैंक/सहकारी समिति/वितिय संस्था से ऋण नहीं लिया गया है अंकित किया जावे।
		2.	जिस बैंक/सहकारी समिति से ऋण लिया जाना है उसका पत्र	
		3.	अग्रिम नगरीयकर (लीज) जमा की रसीद	
		4.	निर्धारित अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र)	
		5.	प्रोपर्टी आईडी एवं एस.एस.ओ.आई.डी संलग्न/अंकित किया जावे।	
4.	विक्रय स्वीकृति	1.	लीज–डीड (रजिस्ट्री) सब रजिस्ट्रार से पंजिबद्ध प्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित प्रति अथवा नाम हस्तान्तरण की प्रति (स्वप्रमाणित)	अवैध निर्माण होने की स्थिति में पृथक से अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र) मय फोटो नोटेरी प्रस्तुत किया जावे।
		2.	विक्रय स्वीकृति हेतु शपथ पत्र मय फोटो नोटेरी	
		3.	अग्रिम नगरीयकर (लीज) जमा की रसीद	निर्धारित अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र) में जिस कार्य हेतु आवेदन किया है उसे (✓) अंकित करें शेष कॉलम को काट दिया जावे।
		4.	निर्धारित अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र)	
		5.	प्रोपर्टी आईडी एवं एस.एस.ओ.आई.डी संलग्न/अंकित किया जावे।	मुख्तारआम से विक्रय स्वीकृति की जानी है तो मुख्तारआम प्रमाणित/ स्वप्रमाणित एवं मुख्तारआम प्रभावी शपथ पत्र मय फोटो नोटेरी प्रस्तुत किया जावे।

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :- 19 जून 2021

नवीनतम सत्यापित फोटो

https: rera.rajasthan.gov.in
RERA Reg. No.:- RAJ/P/............

आवेदन पत्र

राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट – 2

1. आवेदक/संयुक्त आवेदक का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
3. आवेदक का स्थाई पता..
....मोबाईल/टेलिफोन नं ....
4. बैंक खाता संख्या...बैंक का नाम ....IFSC Code..................
स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
5. आधार कार्ड नं. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
6. आवेदक का व्यवसाय या नौकरी क्या हैं (कोष्ठक में लिखे) ☐
7. आवेदक निम्न से जिस वर्ग में भूखण्ड चाहता है उस वर्ग को कोष्ठक में लिखें ☐
एस.सी. / एस.टी. / सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार) /राज्य अथवा अर्द्ध राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के कर्मचारी/अधिस्वीकृत पत्रकार/ट्रांसजेण्डर/शारीरिक निःशक्तजन/ बेसहारा भूमिहीन एकल महिला/सामान्य (कोई भी वर्ग कोष्ठक में अंकित नही करने की स्थिति में आवेदन सामान्य वर्ग में माना जावेगा।
8. आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।

क्र. सं. 1 ☐	2 ☐	3 ☐
7.5 x 15=112.5 व.मी.	9 x18=162 व.मी.	[illegible]2 x 2[illegible]2व.मी.

9. पंजीयन राशि जमा का विवरण :–
(1) चालान नं. .... (2) [illegible]..................................
(3) राशि .... [illegible] डी डी/चैक नं0 ....
10. आवेदन पत्र के साथ सलंग्न [illegible] कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें। :–

आधार कार्ड ☐ PAN CARD ☐ D.D. ☐ Cancelled Cheque CTS 2010 /पास बुक की प्रति ☐

आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र ☐ निवास प्रमाण पत्र ☐ स्वघोषणा पत्र ☐

11. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।
12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
13. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।
14. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाऐं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक : स्थान : आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :
राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना पार्ट–2

क्रमांक

नाम..
....
पता :...
....

आवेदन कमांक ....
चालान राशि ....
बैंक व शाखा का नाम ....
चालान संख्या ....
जमा करने की तिथि ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

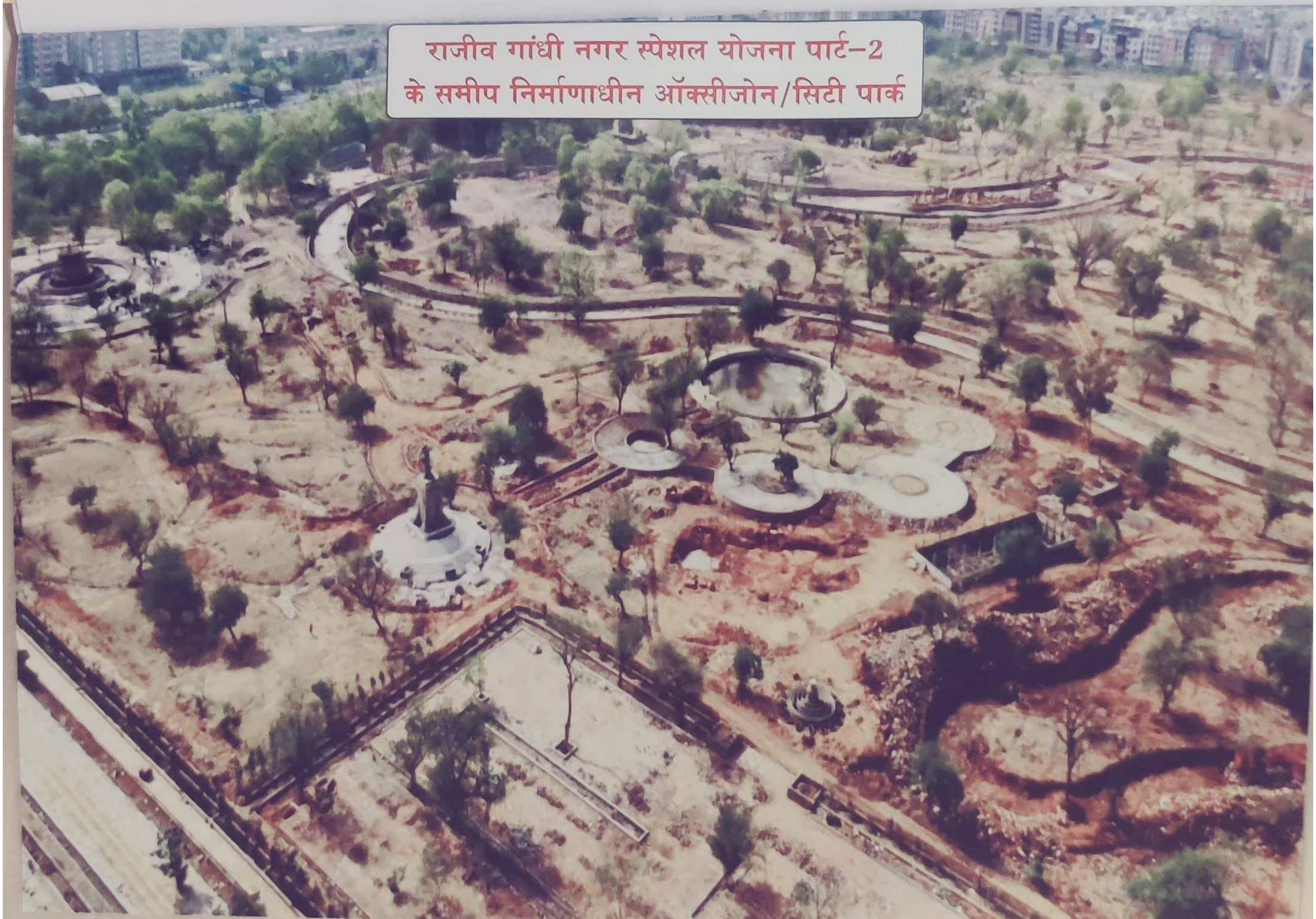
राजीव गांधी नगर स्पेशल योजना पार्ट–2
के समीप निर्माणाधीन ऑक्सीजोन/सिटी पार्क

राजीव गांधी नगर स्पेशल योजना पार्ट-2
के समीप निर्माणाधीन ऑक्सीजोन/सिटी पार्क

मुद्रक: तिरूपति ऑफसेट प्रिन्टर्स एलएलपी, 5-बी-46, विज्ञान नगर, कोटा